2. कागज मुद्रा (Paper Money)

कागज-मुद्रा से तात्पर्य कागज के बने विभिन्न अंकित मूल्य के नोटों से है जिसे देश का केन्द्रीय बैंक तथा/अथवा सरकार जारी करती है। कागज-मुद्रा को प्रतिनिधि कागज-मुद्रा, परिवर्तनीय कागज-मुद्रा, अपरिवर्तन कागज-मुद्रा और आदेश कागज-मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) प्रतिनिधि कागज-मुद्रा (Representative Paper Money)—प्रतिनिधि कागज-मुद्रा "वास्तव में पूर्ण-मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर के स्वर्ण-बुलियन की मालगोदाम रसीद है जो प्रचलन में होती है।" इसे प्रतिनिधि पूर्ण-मूल्य मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि यह सरकारी खजाने में रखे स्वर्ण सिक्कों अथवा बुलियन से पूर्णतया समर्थित होती है। जो स्वर्ण-प्रमाणपत्र संयुक्त राज्य अमरीका में 1933 से पहले चलते थे, वे प्रतिनिधि कागज मुद्रा थे।

(ii) परिवर्तनीय कागज मुद्रा (Convertible Paper Money)—परिवर्तनीय कागज-मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में शत-प्रतिशत समर्थन प्राप्त नहीं होता। परन्तु कागज मुद्रा का धारक (holder) उसे मांग पर बुलियन अथवा सिक्कों में बदलवा सकता है। प्रतिनिधि और परिवर्तनीय कागज मुद्रा दोनों में इतना ही अन्तर होता है कि प्रतिनिधि कागज-मुद्रा को तो मानक सिक्कों अथवा बुलियन का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है जबकि परिवर्तनीय कागज-मुद्रा को उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता। परन्तु दोनों ही प्रकार की कागज मुद्रा परिवर्तनीय होती है।

(iii) अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा (Inconvertible Paper Money)—जिस कागज मुद्रा को मानक सिक्कों अथवा बुलियन का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता और जिसे उनमें बदलवाया भी नहीं जा सकता उसे अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा कहते हैं। सब देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा होती है। इसे प्रत्ययी (fiduciary) मुद्रा भी कहते हैं।

(iv) *आदेश या अधिदिष्ट-मुद्रा (Fiat Money)*—जो कागज-मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित होती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। आदेश मुद्रा प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, परन्तु जिसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता। यह वैध मुद्रा होती है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रतीक सिक्के आदेश मुद्रा हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रुपये के नोट, जिनका छापना अब बंद हो गया है पर प्रचलन में हैं, भी आदेश मुद्रा हैं। आज कल व्यवहार में आदेश मुद्रा और अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा में कोई भेद नहीं है।

3. स्वीकार्यता कसौटी (Acceptability Criterion)

स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा को वैध मुद्रा और अवैध मुद्रा में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) वैध मुद्रा (Legal Tender Money)—वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है, इसलिए लोगों को इस तरह की मुद्रा अनिवार्यत: स्वीकार करनी पड़ती है। किसी देश की सरकार और केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्के उस देश में अनिवार्य वैध मुद्रा होती है। वैध मुद्रा को आगे सीमित तथा असीमित वैध मुद्रा में विभक्त किया गया है।

(i) सीमित वैध मुद्रा (Limited Legal Tender Money)—यह वह मुद्रा है जिसमें कानूनी तौर से एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है। भारत में 1 पैसे के सिक्के से लेकर 25 पैसे तक के सिक्के सीमित वैध मुद्रा हैं। इन सिक्कों में 25 रु. तक का भुगतान ही किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(ii) असीमित वैध मुद्रा (Unlimited Legal Tender Money)—वह मुद्रा असीमित वैध तब होती है। जब असीमित मात्रा में कानूनी तौर पर इसमें भुगतान किया जा सकता हो। भारत में, सभी कागज के नोट और पचास पैसे, एक, दो और पांच रुपये के सिक्के असीमित वैध मुद्रा हैं। लोगों को नोटों और इन सिक्कों में असीमित राशि का भुगतान स्वीकार करना पड़ता है।

(2) अवैध मुद्रा (Non-legal Tender Money)—जिस मुद्रा को सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती उसे अवैध मुद्रा कहते हैं। राबर्टसन ने इसे "ऐच्छिक (Optional) मुद्रा" की संज्ञा दी है। चैकों, हुंडियों और प्रोनोटों आदि के रूप में प्रचलित मुद्रा अवैध मुद्रा है। लोगों को इस तरह की मुद्रा स्वीकार करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्गम को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। चैक और ड्राफ्ट के अलावा, ऐच्छिक मुद्रा के अन्य रूप भी हैं, जैसे सावधि जमा, बांड, प्रतिभूतियां, डिबेंचर, विनिमय पत्र, खजाना पत्र, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पालिसी, आदि। वे 'निकट मुद्रा' या 'मुद्रा स्थानापन्न' कहलाते हैं। वे मूल्य के संचय के रूप में लगभग पूर्ण स्थानापन्न हैं। उनमें तरलता पाई जाती है और उनसे आय प्राप्त होती है। वे करेंसी के प्रयोग में बचत लाते हैं। परन्तु वे वैध नहीं होते हैं।

3. लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा (Money of Account and Money Proper)

केन्ज़ ने लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा में भेद किया है। उसके मतानुसार "लेखा मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋण और कीमतें और सामान्य क्रयशक्ति को व्यक्त किया जाता है।" दूसरी ओर यथार्थ मुद्रा वह वास्तविक मुद्रा है जिसमें ठेकों तथा ऋणों का हिसाब चुकाया जाता है जैसे भारतीय रुपया, इंग्लैण्ड का पौंड, अमरीकी डालर, फ्रांस का फ्रैंक, इटली का लीरा इत्यादि। आमतौर पर, जब देश के भीतर यथार्थ मुद्रा में हिसाब-किताब रखा जाता है, तो यथार्थ मुद्रा और लेखा मुद्रा में कोई अन्तर नहीं होता। पर, यदि किसी अन्य करेन्सी में हिसाब रखे जाएं, तो यथार्थ मुद्रा से लेखा मुद्रा में अन्तर होता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी में ऐसा ही हुआ था जब लेखा मुद्रा तो अमरीकी डालर थी और यथार्थ मुद्रा मार्क थी। परन्तु दोनों में अन्तर भी हो सकता है— जब मुद्रा के रूप में मुद्रा का मूल्य और वस्तु के रूप में मुद्रा का मूल्य भिन्न हों। उदाहरणार्थ, लेखा मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य स्थिर रहा है। परन्तु वस्तु के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य या यथार्थ मुद्रा समयोपरि परिवर्तित हो रहा है, अर्थात् यह असीमित वैध मुद्रा है। यह प्रतीक सिक्का या मुद्रा है जिसका वर्तमान वास्तविक मूल्य उसके 1939 के अंकित मूल्य की तुलना में नगण्य है।

4. मुद्रा तथा निकट मुद्रा
(MONEY AND NEAR MONEY)*

मुद्रा, करेन्सी और बैंक जमा से बनती है। किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए हुए सिक्के और करेन्सी नोट, और देश के कमर्शियल बैंकों के चैक तरल परिसम्पत्ति होती है। चैक और बैंक ड्राफ्ट दरअसल मुद्रा के लगभग पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। ऐसा इसलिए कि वे मुद्रा के विनिमय माध्यम का कार्य करते हैं। परन्तु थोड़े नोटिस पर चैक और बैंक ड्राफ्ट केवल मांग जमा (demand deposit) के संबध में ही जारी किए जा सकते हैं। सावधि जमा (time deposit) के संबंध में यह बात नहीं होती। सावधि जमा या तो नियत अवधि के बाद या बैंक को पहले नोटिस देकर और हरजाना उठाकर

* Inside Money और Outside Money के लिए आगे अध्याय देखिए।

Scanned with CamScanner